

RTE/Speed Post

अवर सचिव
UNDER SECRETARY



उप-राष्ट्रपति सचिवालय
VICE-PRESIDENT'S SECRETARIAT
नई दिल्ली/NEW DELHI - 110011
TEL.: 23016344/23016422 FAX: 23018124

फाइल संख्या वीपीएस-55/01/आरटीआई/115/2016-17

फरवरी 8, 2017

श्री राजेश कुमार साहू
सुपुत्र श्री प्रहलाद दास साहू
पोस्ट - कचनी (बैलौहाटोला),
वाया- अमलोरी, जिला-सिंगरौली-486887
मध्य प्रदेश

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत सूचना हेतु।

महोदय,

उक्त संदर्भ में कृपया अपने पत्र दिनांक 1.2.2017 का अवलोकन करें जिसके साथ आपने रु. 10/- के पोस्टल आर्डर संख्या 38एफ 726680 संलग्न कर सूचना दिए जाने हेतु आवेदन किया है।

इस संदर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि श्री सुजीत कुमार, सीपीआईओ तथा अवर सचिव, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आपको प्रेषित पत्र सं.49026/18/2015 पीआरआईडब्ल्यू-1 दिनांक 5 अगस्त, 2016 (प्रति संलग्न) की प्रति इस कार्यालय में प्राप्त होने के बाद इस विषय में भेजे आपके पत्रों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है तथा सारे पत्र नत्थी कर दिए जाते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आपका दिनांक 1.2.17 का पत्र रु.10/- के आईपीओ संख्या 39एफ 726680 आपको लौटाया जा रहा है।

धन्यवाद,

भवदीय,

हरबी शकील

(हरबी शकील)

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
hurbi.shakeel@nic.in

संलग्नक: यथोपरि

Narain Sir
8/2/17

कल ३१५५. कडु रूडळळु २२०५०३ पण्डळु कुप दहा रुपये ७६१ ०७१/ २३ रुपटे दहा रुपयकाणि

பத்ம சூபாய் பதி ரூபாயல ३ २ ३



डाक टिकट
POSTAGE STAMPS

भारतीय पोस्टल ऑर्डर
INDIAN POSTAL ORDER

डाक महासचिवक DIRECTOR GENERAL OF POSTS.

PAY TO The Accounts Officer,
Vice-President's Secretariat. को

दस रुपये की रकम THE SUM OF RUPEES TEN ONLY

₹ 10

AT THE POST OFFICE AT

New Delhi

के डाकघर में भेजा करें।

पोस्ट मास्टर POSTMASTER के डाकघर के तबों पर लिखिए DO NOT WRITE BELOW THIS LINE

कमीशनर COMMISSIONER १ RUPEE
प्रेषक अपना नाम और पता यहाँ लिखें।
SENDER MAY FILL IN HIS NAME AND ADDRESS HERE.

R.K. Sahu

P.O- Kachani

Dr. Singrauli (M.P.)

८१८६८८७

38F 726680

१११२

भारत सरकार
कोयला मंत्रालय

फा.सं. 49026/18/2015-पीआरआईडब्ल्यू-1

नई दिल्ली, दिनांक 5 अगस्त, 2016

सेवा में



श्री राजेश कुमार साहू,
सुपुत्र श्री प्रहलाद दास साहू,
पोस्ट कचनी (वैलोहाटोला),
वाया अमलोरी, जिला सिंगरौली-486 887, मध्य प्रदेश

विषय: सीपीआईओ, राष्ट्रपति सचिवालय को संबोधित तथा सीपीआईओ, कोयला मंत्रालय को संबोधित आवेदक श्री राजेश कुमार साहू, सिंगरौली को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना देने के संबंध में।

महोदय,

कृपया सीपीआईओ, कोयला मंत्रालय को संबोधित अपने आरटीआई पत्र दिनांक 1.7.2016 (संबंधित अनुभाग में दिनांक 21.7.2016 को प्राप्त) तथा उप-राष्ट्रपति सचिवालय से उनके फा.सं. वीपीएस-55/01-आरटीआई/55/2016-17, दिनांक 13.7.2016 के साथ आपका आरटीआई पत्र दिनांक 1.7.2016 (संबंधित अनुभाग में दिनांक 21.7.16 को प्राप्त) में उल्लिखित किए गए पत्रों पर, वर्तमान तक क्या कार्यवाही की गई है, की जानकारी मांगी है।

2. इस संबंध में, आपको यह सूचित किया जाता है कि इस अनुभाग में दिनांक 8.7.2016 तक आपके जो भी पत्र विभिन्न माध्यमों से एक ही प्रकार के पत्र 'विषय- भारत की अधिसूचना संख्या 660, दिनांक 4.2.1982 द्वारा, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 के अंतर्गत अधिगृहीत भूमि वापिस किए जाने के संबंध में' प्राप्त हुए थे, उस पर मंत्रालय द्वारा अपने पत्र दिनांक 8.7.2016 के माध्यम से संक्षिप्त ब्यौरे सहित आपको जवाब भेजा जा चुका है और साथ ही मंत्रालय ने आपको यह भी सूचित किया था कि 'मंत्रालय ने यह निर्णय लिया है कि आपके उपरोक्त विषय से संबंधित प्राप्त पत्रों पर भविष्य में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी और साथ ही आपसे यह भी अनुरोध किया गया था कि आप उपरोक्त विषय पर कोई पत्राचार नहीं करेंगे।' (प्रतिलिपि पुनः संलग्न)।

3. इस मामले के संबंध में, श्री एच.एम.मीणा, उप सचिव, कोयला मंत्रालय, पांचवीं मंजिल, लोक नायक भवन, खान मार्किट, नई दिल्ली प्रथम अपीलीय प्राधिकारी होंगे।

भवदीय,

(सुजीत कुमार)

सीपीआईओ तथा अवर सचिव

✓ प्रतिलिपि:- 1. केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, उप-राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली-110 011 को उनके फा.सं. वीपीएस-55/01-आरटीआई/55/2016-17, दिनांक 13.7.2016 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

1. डी.डी.ओ., कोयला मंत्रालय को रु. 10/- भारतीय पोस्टल आर्डर सं. 725456 सरकारी खजाने में जमा करने हेतु प्रेषित।